



Telephone : 01127376776

Fax : 011 27376778

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

REGIONAL OFFICE: DELHI

28, Bhavishya Nidhi Bhawan, Community Center, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052

Ref: E/Comp-III/DL/ 12873/1684(A)

Date:

11 MAY 2016

M/s. Ladmi Chand & Sons
65/57, First Floor
New Rohtak Road
New Delhi-5

Sub: Change of address of the establishment: regarding

Sir,

Please refer to the establishment letter dated 21/1/16 regarding the subject cited above, It is intimated that the address of the establishment has been changed in our office record from M/s. Ladmi Chand & Sons at 65/57 N

New Rohtak Road, Kirti Bagan New Delhi-5 to M/s. Ladmi Chand & Sons
at 65/57, First Floor, New Rohtak Road, New Delhi-5

Yours Faithfully

टी. एस. नारंग
Assistant P.F. Commissioner (Comp. III)

Assistant P.F. Commissioner (Comp. III)

To,

- 1) Coordination Cell
- 2) Account Section
- 3) Mr., AEO for inspection

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

सातवां-भाठवां तल, स्फाइलॉफ विल्डिंग, 60 मैट्रस प्लेस, नई दिल्ली-110019

पंजीकृत संपादकी

दिनांक 15/02/1973 / क्वॉरंटेन / 10637

दिनांक 13 MAR 1973

प्रेम में,

मैसर्स लक्ष्मीचन्द राठ सन्स
डी आर सी / 56/1
जैन कपुरी नगर दिल्ली-110058

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का संघर्ष

पहोदप, आपके द्वारा दिनांक 15-2-71 को प्रेषित रिपोर्ट के माध्यम पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षण द्वारा 26-2-71 को किए गए निरीक्षण के माध्यम पर स्पष्ट होता है कि:-

(क) आपकी स्थापना चेंबरों पर्याप्त संघर्ष उपरोक्त कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 में स्थापनाओं की शर्तियों/पनुसूची-1 में शामिल उपरोक्त संघर्ष कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना/चेंबरों में दिनांक 15-2-71 के अन्तर्गत में आपकी प्रशासनिक स्थापना पर कोई सं. नो एत/ के अन्तर्गत में आपकी स्थापना पर्याप्त प्रभावित किया जाता है। आपका नोट कर लें कि उक्त स्थापना को मूल प्रभावित प्रभावित नहीं होगी और इसे सभी एप्लिकेबल (अतिमूल्य भादि) के लिए मूल यूनिट का प्रतिबन्धन प्रभावित नहीं होगा। उक्त को प्रदर्शित का कर्मचारी का हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा।

अधिनियम धारा 1 (4) के अंतर्गत स्थिर माध्यम पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या 15-2-1971 के अन्तर्गत में आपकी स्थापना पर्याप्त प्रभावित किया जा रहा है। प्रकीर्ण आपकी स्थापना की कार्यक्षेत्र में प्रत्यापी रूप से साधा जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शर्तियों का उपयोग करते हुए नारद सरकार प्रतिभूतना जारी नहीं कर देती।

2. आपकी स्थापना को कोर नम्बर, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों पर्याप्त कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, कर्मचारी कुटुम्ब वेधत स्कीम, 1971 और निधन संचयन स्कीम, 1976 के निर्माण उपवन्धों के पनुपासन के लिए प्रभावित किया गया है। यह कोर नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रतिबन्ध रूप से उदघृत किया जाना चाहिए।

3. नियोजन द्वारा देय भंडारण की दर मूल वेधन, महंगाई भत्ता (दिसो भी खास रियायत के तहत मूल्य बहित) और निवृत्ति भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 8.5% की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय भंडारण की दर नियोजन द्वारा देय दर के समान होगी।

- I. भंडारण की संग्रहना पूरे माह के दौरान अतिरिक्त राशि मूल वेधन, महंगाई भत्ता यदि, पाड़े भुगतान दंडित, साप्ताहिक, वार्षिक व मासिक माध्यम पर किया गया हो, की जाएगी,
- II. भंडारण की संग्रहना नजदीकी रूप में प्रत्येक 50 वर्षा या अधिक की एक रूप में तथा 50 से कम वर्ष की छोड़कर की जाएगी।

RAJESH

